रुकमणी — केशव वगैरा
दावा

नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	8-5-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/पार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-5-19 को पेश हो। रीडर	
	15-5-19 वकील वादी उप०। विभाजन स्कीम पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 22-5-19 को पेश हो।	
	22-5-19 वकील वादी उप०। नायब तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	

कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2018	29.6.2018	22.11.2019

रूकमणी पत्नी नत्थू, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी ——वादिया

बनाम

1. केशव पुत्र बदरी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. प्रेमचन्द पुत्र बदरी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
3. आशीष पुत्र बदरी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
4. सम्पत्ती पत्नी बदरी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
5. बैंक आफ बडौदा शाखा उदेईकलां जरिए शाखा प्रबन्धक
6. स्टेट बैंक आफ इण्डिया उदेईखुद जरिए शाखा प्रबन्धक
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, वादिया की ओर से

श्री राजेश शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0नं0 932 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 1208 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 1209 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 1211 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 1392 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1207 रकबा 0.64 है0 ग्राम डिवस्या में वादिया का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा है। भूमि पक्षकारान शामलाती काश्त करते हैं। पक्षकारान के मध्य अभी भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। भूमि का विभाजन हुए बिना वादिया का भूमि के प्रत्येक इंच पर समान अधिकार है। ख0नं0 1209 के उत्तर की ओर वादिया का कुण्डा है। उक्त भूमि के कुछ हिस्से में बाजरे की फसल शामलाती काश्त की हुई है एवं कुछ भूमि में जोत लगा रखी है। दिनांक 25.8.2017 को वादिया अपने बाजरे की फसल संभालने खेत पर गई तो प्रतिवादीगण ने कहा कि वादिया को बाजरे की फसल में हिस्सा नहीं देंगे तथा भूमि काश्त भी नहीं करने देंगे। दिनांक 26.5.2018 को तहसीलदार के समक्ष बंटवारा कराने की मना करने के बाद प्रतिवादीगण ने वादिया को धमकी दी कि भूमि काश्त नहीं करने देंगे। वादिया ने भूमि का विधिवत विभाजन कर मौके पर चक व रिकार्ड में अलग दर्ज कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने वाई मीट्स एण्ड बाउन्ड विभाजन कराने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण के कृत्य से वादिया को अतुलनीय हानि हो रही है। उक्त

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

आशय का दावा संख्या 54/17 वादिया ने दिनांक 4.9.17 को पेश किया जो प्रतिवादीगण के जबाब दावे में चल रहा था । इसी दौरान राजस्व लोक अदालत कैम्प खानपुरबडौदा में समझाइश के आधार पर निर्णय कर दिया गया कि भूमि का विभाजन आपसी सहमति से तहसीलदारजी के यहां पककाशन करा लेंगे। किसी कारणवश यदि सहमति नहीं बन पाती है तो वादिया को नया दावा पेश करने की छूट दी जाकर दावा वापिस लेने की अनुमति दी गई। इस प्रकार दावा मेरिट पर निर्णित नहीं हुआ। दिनांक 26.5.2018 को वादिया ने प्रतिवादीगण से तहसीलदार जी के यहां सहमति से भूमि का बंटवारा कराने हेतु चलने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। इस कारण पुनः यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण मय खर्चा डिक्री फरमाया जाकर ग्राम डिवस्या में स्थित भूमि ख0नं0 932 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 1208 रकबा 0.72 है0, ख0नं0 1209 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 1211 रकबा 0.15 है0, ख0नं0 1392 रकबा 0.44 है0, ख0नं0 1207 रकबा 0.64 है0 का वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य वाई मीट्स एण्ड बाउन्ड किया जाकर वादी के 1/2 हिस्सा भूमि का खाता अलग किया जाकर तदनुसार जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में अलग इन्द्राज किए जाने के आदेश फरमावें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादिया के उक्त हिस्से की भूमि में वादिया के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 5, 7 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई ।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 , नकल आदेश व राजीनामा दिनांक 25.5.18 प्रस्तुत किए हैं।

दिनांक 3.7.2019 को वादिया रूकमणी एवं प्रतिवादी केशव, प्रेमचन्द, आशीष एवं सम्पत्ती ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामे में पक्षकारों ने अंकित किया है कि उनके मध्य पांच आदमियों के समझाने से राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार ग्राम डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी स्थित भूमि ख0नं0 932 रकबा 0.24 है0 में पूर्वी हिस्सा 12 एयर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का एवं पश्चिमी हिस्सा 12 एयर वादी का है व रहेगा। ख0नं0 1208 रकबा 0.72 है0 में पूर्वी 36 एयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की एवं पश्चिमी 36 एयर भूमि वादी की है व रहेगी। ख0नं0 1209 रकबा 0.50 है0 में

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

पूर्वी 25 एयर भूमि वादी की एवं पश्चिमी 25 एयर भूमि प्रतिवादी सं0 1 से 4 की है व रहेगी। ख0नं0 1211 रकबा 0.15 है0 में से पूर्वी 7 एयर भूमि वादी की एवं पश्चिमी 7 एयर भूमि प्रतिवादी सं0 1 से 4 की है व रहेगी। ख0नं0 1207 रकबा 0.64 है0 में से पूर्व की ओर की 18 एयर भूमि वादी की एवं पश्चिमी 46 एयर भूमि प्रतिवादी सं0 1 से 4 की है व रहेगी। भूमि ख0नं0 1382 रकबा 0.44 हे0 का पक्षकारान विभाजन नहीं चाहते हैं। उक्त राजीनामा अनुसार पक्षकारों के मध्य राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में विभाजन का इन्द्राज किया जाकर खाते अलग अलग किए जाना आवश्यक है। इसी अनुसार विभाजन का दावा डिक्री किया जाकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज अलग अलग दर्ज किए जावें। दोनों पक्ष एक दूसरे के उपरोक्तानुसार हिस्से व कब्जे में एवं कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमावें एवं मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल के इन्द्राज किए जाने के आदेश लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी को फरमावें।

वादिया का यह दावा दिनांक 22.7.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर विभाजन स्कीम नायब तहसीलदार तलावडा से मंगवाई गई।

नायब तहसीलदार तलावडा के पत्रांक राजस्व/19/521 दिनांक 11.10.19 के साथ विभाजन स्कीम इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण को सुना गया। उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने पर सहमत हैं।

आदेश

अतः नायब तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता हैः—

1. रुकमणी पत्नी नत्थू जाति मीना निवासी डिवस्या की खातेदारी में भूमि ख0नं0 932/2 रकबा 0.12 है0, ख0न0 1207/2 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1208/1 रकबा 0.36 है0, ख0न0 1209/2 रकबा 0.25 है0, ख0न0 1211/2 रकबा 0.075 है0 कुल रकबा 0.985 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

2. केशव, प्रेमचंद, आशीष पुत्रगण बदरी, सम्पत्ति पत्नी बदरी जाति मीना निवासी डिबस्या की खातेदारी मे ख0नं0 932/1 रकबा 0.12 है0, ख0न0 1207/1 रकबा 0.46 है0, ख0न0 1208/2 रकबा 0.36 है0, ख0न0 1209/1 रकबा 0.25 है0, ख0न0 1211/1 रकबा 0.075 है0 कुल रकबा 1.265 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

डिकरी व मुकद्दमा इत्यादि
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

बाज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0

उनवान

रुकमणी पत्नी नत्थू मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी ––वादिया

बनाम

1. केशव पुत्र बदरी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. प्रेमचन्द पुत्र बदरी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
3. आशीष पुत्र बदरी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
4. सम्पत्ती पत्नी बदरी, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
5. बैंक आफ बडौदा शाखा उदेईकलां जरिए शाखा प्रबन्धक
6. स्टेट बैंक आफ इण्डिया उदेईखुद जरिए शाखा प्रबन्धक
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –60/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री राजेश शर्मा, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व नायब तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. रुकमणी पत्नी नत्थू जाति मीना निवासी डिवस्या की खातेदारी में भूमि ख0नं0 932/2 रकबा 0.12 है0, ख0न0 1207/2 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1208/1 रकबा 0.36 है0, ख0न0 1209/2 रकबा 0.25 है0, ख0न0 1211/2 रकबा 0.075 है0 कुल रकबा 0.985 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

2. केशव, प्रेमचंद, आशीष पुत्रगण बदरी, सम्पत्ति पत्नी बदरी जाति मीना निवासी डिबस्या की खातेदारी मे ख0नं0 932/1 रकबा 0.12 है0, ख0न0 1207/1 रकबा 0.46 है0, ख0न0 1208/2 रकबा 0.36 है0, ख0न0 1209/1 रकबा 0.25 है0, ख0न0 1211/1 रकबा 0.075 है0 कुल रकबा 1.265 है0 ग्राम डिबस्या रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारो को भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। यह भूमि उपरोक्तानुसार पक्षकारो की खातेदारी मे पृथक पृथक दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे तथा राजस्व अभिलेख एवं

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

नक्शा ट्रेस मे इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.11.2019 को जारी किया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.24 11:09:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: